

14/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ... अवलोकित हैं।

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/22 को पेश हो।

28/22

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उभय वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहेकर नोट प्रेस में शरीर करने का विवेक विभा पत्रावली वाले आदेश दि.

Hot Press

13.8.22 को पेश हो।

13/22

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वादी पक्ष में आगे कार्यवाही नहीं चाहेकर नोट प्रेस में शरीर करवाना चाहेता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी के अनुरोध पर प्रकरण प्रेस नोट में शरीर किया जाता है। पत्रावली फेशल शुभारंभ होकर यफतर जारी है।



न्यायिक अधिकारी सजस्य अधिकारी सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंच.....

(सन्तोष कुमार मीना, उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला मालवाड़)